


आदेश

अतः पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर राजस्व ग्राम झाडली पटवार मण्डल झाडली तहसील श्रीमाधोपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 5797, 5813, 5817 कुल किता 3 कुल रकबा 0.44 हैक्टे., कृषि भूमि खसरा नंबर 5803 कुल किता 1 कुल रकबा 0.32 हैक्टे., राजस्व ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 6829, 6830, 6832, 6833, 6834 कुल किता 5 कुल रकबा 1.94 हैक्टे., कृषि भूमि खसरा नंबर 568, 569, 570, 571 कुल किता 4 कुल रकबा 4.71 हैक्टे. भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी संख्या 1 ता 4 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 5 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 6 को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक व कब्जा काश्त की भूमि में मजामहत नहीं करे ना दिगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उक्त आदेशानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (साकर) श्रीमाधोपुर (साकर)